

बजटेंतर संसाधनों का विवरण (सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स एवं एनएसएसएफ ऋण और अन्य संसाधन)

(₹ करोड़)

भाग-क—सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स जारी करके ईवीआर जुटाए गए:

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 ब.अ.	2021-22 सं.अ.	2022-23 ब.अ.
26	उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (आरआईएसई)	---	---	---	---	---			
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	---	---	---	---	---			
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी	---	---	20000.00	---	---			
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (i)पोलावरम सिंचाई परियोजना (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनफिट्स प्रोग्राम एवं अन्य परियोजनाएं)	---	---	1400.00	1850.00	2243.20		751.80	
		2187.00	3105.00	5493.40	1963.30	1922.10			
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग (i) (i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (ii)जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	---	---	8698.20	3600.00	---	शून्य		शून्य
		---	---	---	---	---			
71	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत ऑफ ग्रिड/संवितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (ii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	1640.00	---	---	---	---			
		---	---	---	---	---			
78	पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) परियोजनाएं	340.00	660.00	---	---	---			
79	विद्युत मंत्रालय (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य (ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5000.00	4000.00	13827.00	3782.00	2500.00			
		---	---	5504.70	---	---			
87	ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	---	7330.00	10678.80	10811	19999.80			
	सकल जोड़	9167.00	15095.00	65602.10	22006.30	26665.10		751.80	

भाग-ख—एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई:

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग और निकाय का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 ब.अ.	2021-22 सं.अ.	2022-23 ब.अ.
1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम	70000.00	65000.00	97000.00	110000.00	84636.00	---		
2	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिन्द	---	8000.00	---	15000.00	10000.00	---		
3	उर्वरक विभाग धातु एवं खनिज पदार्थ व्यापार निगम	---	---	---	1310.00		---	शून्य	शून्य
4	अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को सहायता (कुछ विशिष्ट योजना/परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन की जरूरत को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए)						30000.00		
	जोड़	70000.00	73000.00	97000.00	126310.00	94636.00	30000.00		
	सकल जोड़ (क + ख)	79167.00	88095.00	162602.10	148316.30	121301.10	30000.00	751.80	

टिप्पणियां:

- नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को इस बात को मंजूरी दी गई है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 7,000 करोड़ तक के गवर्नमेंट फुल्ली सर्विस बान्ड को जारी करके अपने ईबीआर को बढ़ा सकता है जिससे कि एआईएएचएल को अंतरित किये गये एआई ऋण को पुनः वित्तपोषित किया जा सके।
- रेल मंत्रालय को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेकर ₹10,200 करोड़ (वित्तीय-वर्ष 2018-19 में ₹ 5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,000 करोड़) तक की जरूरत को पूरा कर सकता है। पुनःभुगतान देयता सरकार के सामान्य राजस्वों से वहन की जा रही है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाना: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजी समृद्ध बनाने के लिए 2017-18 में ₹80,000 करोड़, 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़ और 2019-20 में ₹65,443 करोड़ लगाये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए 2021-22 में ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वार्निक योजनाओं से संबंधित देयता का विवरण प्राप्ति बजट 2022-23 के भाग-ख में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में बिना भुगतान हुए वार्निक देयता की राशि ₹ 38,775.72 करोड़ रही थी।
- इस परियोजना के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में मौजूदा वित्तपोषण व्यवस्थाओं के अनुसार इबीआर जुटाया गया था। भावी वित्तपोषण बजट से पूरा किया जाना है।
